भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1156

दिनांक 06 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

महिलाओं और बच्चों की पोषण स्थिति

1156. श्री ए. राजा:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने में पोषण अभियान योजना की प्रभावशीलता का पता लगाने के लिए हाल ही में इस संबंध में कोई मूल्यांकन/प्रभाव आकलन अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी रिपोर्टों के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और मंत्रालय की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) मातृ एवं शिशु पोषण परिणामों में सुधार लाने के लिए आंगनवाड़ी सेवाओं सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन योजनाओं के लिए पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान बजट में आबंटित की गई/व्यय की गई निधि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि कतिपय राज्यों में निधि का अल्प उपयोग हुआ है, तो उसके कारणों का ब्यौरा क्या है और इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ड.): कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए, आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान और किशोरियों (14-18 वर्ष, आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में) के लिए योजना को व्यापक मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह एक केंद्र प्रायोजित मिशन है, जिसमें विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की है। इस मिशन में लाभार्थी के रूप में देश के 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और किशोरियां (पूर्वोत्तर राज्यों और आकांक्षी जिलों में 14-18 वर्ष की आयु की) शामिल हैं। यह मिशन पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस मिशन के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- देश के मानव पूंजी विकास में योगदान करना;
- कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना;
- स्थायी स्वास्थ्य और तंदरुस्ती के लिए पोषण जागरूकता तथा खान-पान की अच्छी आदतों को बढ़ावा देना

मिशन पोषण 2.0 के तहत सामुदायिक सहभागिता, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और प्रचार-प्रसार जैसे कार्यकलापों के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने तथा स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती एवं रोग-प्रतिरक्षा में सुधार के लिए एक नई कार्यनीति बनाई गई है। इसमें मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) / मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आयुष पद्धतियों के माध्यम से तंदुरुस्ती पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि दुबलेपन, ठिगनेपन, रक्ताल्पता (एनीमिया) और कम वजन की व्याप्तता को कम किया जा सके।

इस मिशन के तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष तक), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को जनवरी 2023 में संशोधित किया गया है। पुराने मानदंड काफी हद तक कैलोरी-विशिष्ट थे, जबकि, संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामले में अधिक व्यापक और संतुलित हैं जिसमें गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वस्थ वसा और सूक्ष्म पोषक तत्व (कैल्शियम, जिंक, आयरन, आहारीय फोलेट, विटामिन ए, विटामिन बी6 और विटामिन बी12) प्रदान किए जाते है। गंभीर रूप से कुपोषित (एसएएम) बच्चों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के अनुसार अतिरिक्त पूरक पोषण प्रदान किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने तथा महिलाओं और बच्चों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर पका हुआ गर्म भोजन तथा टेक होम राशन तैयार करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार **मिलेट (श्री अन्न) के उपयोग** पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

मंत्रालय ने 12 सितंबर, 2022 की अधिसूचना के माध्यम से एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम- सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण (2.0), नियम 2022 जारी किए हैं ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक गर्भवती महिला और प्रसव के बाद छह माह तक स्तनपान कराने वाली माता तथा छह महीने से छह साल की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे के लिए निर्दिष्ट अधिकारों को विनियमित किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने संयुक्त रूप से, बच्चों में गंभीर कुपोषण की रोकथाम और उपचार तथा इससे जुड़ी रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने के लिए सामुदायिक कुपोषण प्रबंधन (सीएमएएम) प्रोटोकॉल जारी किया है।

आहार विविधता और स्थानीय पौष्टिक उत्पादों के सेवन को प्रोत्साहित करने के लिए, आंगनवाड़ी केन्द्रों में पोषण वाटिकाएँ तैयार की गई हैं। पोषण वाटिकाएँ पूरे वर्ष विभिन्न प्रकार के फल, सूखे मेवे (नट्स), जड़ी-बूटियाँ, औषधीय पौधे और सब्जियाँ उपलब्ध कराती हैं जिससे विभिन्न सर्वेक्षणों में बार-बार सामने आई आहार विविधता की महत्वपूर्ण कमी को पूरा करने में मदद मिलती है।

इस मिशन के तहत शुरू किए गए प्रमुख कार्यकलाप में से एक कार्यकलाप पोषण संबंधी पहलुओं पर लोगों को शिक्षित करने के लिए सामुदायिक जुड़ाव और जागरूकता का प्रचार-प्रसार करना है क्योंकि पोषण की अच्छी आदत को अपनाने हेतु व्यवहार परिवर्तन के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितंबर एवं मार्च-अप्रैल के महीनों में मनाए जाने वाले पोषण माह तथा पोषण पखवाड़ा के दौरान जन आंदोलनों के तहत नियमित रूप से संवेदीकरण क्रियाकलापों का संचालन और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। समुदाय आधारित कार्यक्रमों (सीबीई) ने पोषण पद्धतियों को बदलने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में कार्य किया है तथा सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को हर महीने समुदाय आधारित दो कार्यक्रम आयोजित करना अपेक्षित है।

सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान 26 दिसंबर 2024 को कुपोषण मुक्त भारत की दिशा में प्रगति को तेज करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन करने वाली ग्राम पंचायतों को नामित किया, जो प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कुल ग्राम पंचायतों के 10% के शर्तधीन था।

मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत बजट में आवंटित/खर्च की गई निधि का ब्यौरा, पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान, वर्षवार अलग-अलग नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	**वित्तीय वर्ष**	**जारी की गई निधि (करोड़ रुपये)**	**उपयोग की गई निधि (करोड़ रुपये)**
1	2020-21	16,105.78	17,544.87
2	2021-22	18,368.01	18,789.28
3	2022-23	19,849.82	19,346.54
4	2023-24	21,741.17	20,337.16
5	2024-25	20,904.83	--------
6	2025-26	11,862.20*	--------

*31 जनवरी, 2026 तक

सरकार ने निधियों के कम उपयोग की समस्या को दूर करने और समय पर एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कई पहले की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- वास्तविक और वित्तीय प्रगति की निगरानी के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें।
- राज्यों को समय पर यूसी जमा करने और निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन करने के लिए सलाह और दिशानिर्देश जारी करना।

2021 में, विश्व बैंक ने एनीमिया और ठिगनेपन की अधिक व्याप्ता के11 प्राथमिकता वाले राज्यों में पोषण अभियान पर एक सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य कार्यक्रम के तहत पोषण सेवाओं की प्रदायगी का आकलन करना था कि क्या लाभार्थियों के पोषण संबंधी जानकारी में सुधार हुआ है और क्या उन्होंने अधिक उपयुक्त पोषण और आहार संबंधी पद्धतियों को अपनाया है।

निष्कर्षों से पता चला कि पोषण अभियान के माध्यम से प्रदान की गई सेवाएँ अर्थात- प्रासंगिक संदेशों की प्राप्ति, आँगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा घर-घर जाकर काम करना और सामुदायिक कार्यक्रमों में उपस्थिति - बेहतर पोषण व्यवहार से जुड़ी थीं। सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि कार्यक्रम के पोषण संदेश 80% से ज़्यादा महिलाओं तक पहुँचे और 81% महिलाओं ने पहले छह महीनों तक केवल स्तनपान कराया।

इसके अतिरिक्त, नीति आयोग द्वारा 2020 और 2025 में पोषण अभियान का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन और प्रभाव आकलन किया गया था। उन्होंने देश में कुपोषण को समाप्त करने के लिए इसकी प्रासंगिकता को संतोषजनक पाया है।

*****